क्रम संख्या–210

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0एन0–30/03
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)
(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, शनिवार, 21 दिसम्बर, 2002 ई0
अग्रहायण 30, 1924 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन
विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 454/विधायी एवं संसदीय कार्य/2002
देहरादून, 21 दिसम्बर, 2002

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तरांचल आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 2002 को दिनांक 21–12–2002 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या 17, सन् 2002 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तरांचल आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 2002

विषय सूची

उद्देशिका---------

धारा	विषय	पृष्ठ सॅ0
	भाग–1	
	प्रारम्भिक	
1	सक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भिकी	01
2	परिभाषायें	01
	भाग–2	
	परिषद की स्थापना,परिषद का संविधान व सहभागिता	
3	संविधान, दायित्व एवं परिषद के अधिकार	03
4	परिषद का कार्यकाल	04
5	आकस्मिक रिक्तियां	05
6	त्यागपत्र	05
7	निर्हता अथवा निर्योग्यता	06
8	परिषद की बैठक	06
9	बैठक का कार्यवृत्त एवं कार्यवाही की वैधता	07
10	परिषद के अधिकार, कर्तब्य एवं कृत्य	07
11	कार्यकारी समिति	09
12	परिषद के सदस्यों व कार्यकारी समिति के सदस्यों को दी जाने वाली फीस व भत्ते	09
13	परिषद का आय–व्ययक	09

14 परिषद के निबन्धक , उप निबन्धक की नियुक्ति एवं उनके कर्तव्य– व कृत्य– 9

भाग–3

पंजिका की तैयारी एवं अनुरक्षण

15– पंजिका की तैयारी – 10

16– कतिपय दशा में पंजीकरण की प्रकिया – 12

17– वे व्यक्ति जिन्हें पंजीकृत नही किया जाना हैं ।– 12

18– अनन्तिम पंजीकरण प्रमाण पत्र हेतु शुल्क– 12

19– पंजीका का अनुरक्षण – 13

20– पंजीकृत चिकित्सकों की सूची को प्रकाशित किया जाना – 14

21– अनुशासनिक कार्यवाही व पंजिका से नाम निकाला जाना – 15

22– पंजीकरण का नवीनीकरण – 17

23– अपील – 18

24– पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायियों के अधिकार – 18

25– सीमान्त प्राविधान जो चिकित्सा व्यवसायियों पर लागू होंगे ।– 19

26– पंजीकृत होने की असत्य सूचना पर दण्ड का प्राविधान– 19

27– अधिनियम के अन्तर्गत असत्यता के आधार पर चिकित्सा व्यवसायियों– का होना अपराध होगा । 19

28– न्यायालय जो इस अधिनियम के अन्तर्गत अपराध का संज्ञान लेने में सक्षम– होगा । 19

29– सरकार का नियंत्रण – 20

30– नियम – 21

31– आचार संहिता व नैतिकता – 23

32– कठिनाइयों का निराकरण – 23

33– निरसन– 23

उत्तरांचल आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 2002

(अधिनियम संख्या 17, सन् 2002)

(भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित)

उत्तरांचल आयुर्विज्ञान परिषद् के संविधान एवं चिकित्सा व्यवसाय से जुड़े व्यक्तियों के रजिस्ट्रेशन हेतु आधुनिक वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति की समस्त शाखाओं हेतु जिनका प्रसार, विकास व व्यवसाय उत्तरांचल राज्य में किया जाता हो, के लिये प्रख्यापित अध्यादेश का प्रतिस्थानी अधिनियम ;

अधिनियम

भारत के गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

भाग 1
प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भिकी

1. (1) यह अधिनियम उत्तरांचल आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 2002 कहलायेगा।

(2) यह अधिनियम उत्तरांचल राज्य की सम्पूर्ण परिधि को आच्छादित करेगा।

(3) यह दिनांक 30-10-2002 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

परिभाषाएं

2. इस अधिनियम में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :

(1) "नियत दिन" से वह दिन अभिप्रेत है जो राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत किया गया हो।

(2) "आकस्मिक रिक्ति" का तात्पर्य ऐसी रिक्ति से भिन्न रिक्ति से होगा जो किसी कार्यालय में चुनाव अथवा नामांकन से भरे जाने वाले पद पर समय बीत जाने से रिक्त हो।

(3) "परिषद्" का तात्पर्य इस अधिनियम के तहत बनी आयुर्विज्ञान परिषद् से होगा।

(4) "उत्तरांचल" का तात्पर्य राज्य के अन्तर्गत समस्त क्षेत्र से होगा जो उत्तरांचल में आता हो।

(5) "कार्यकारी समिति" का तात्पर्य उत्तरांचल आयुर्विज्ञान परिषद् की कार्यकारी समिति से होगा जो अधिनियम की धारा 11 द्वारा बनी होगी।

(6) "सरकार" का तात्पर्य उत्तरांचल सरकार से होगा।

(7) ''मेडिकल प्रेक्टीशनर'' या ''प्रेक्टीशनर'' का तात्पर्य उस व्यक्ति से होगा जो आधुनिक वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति व उसके अन्तर्गत आने वाली शाखाओं में से किसी शाखा के अन्तर्गत कार्यरत हो एवं जो भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 (केन्द्रीय अधिनियम 102 वर्ष 1956) की प्रथम, द्वितीय व तृतीय अनुसूची मे विहित अर्हता का धारक हो।

(8) ''औषधि'' का तात्पर्य आधुनिक वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति की औषधियों से है एवं शल्य चिकित्सा व प्रसूति (आब्सेटेट्रिक्स) में प्रयुक्त हाने वाली औषधियों व चिकित्सा उपचार हेतु प्रयुक्त होने वाली सामग्री को भी सम्मिलित करेगा परन्तु जिसमें पशु चिकित्सा हेतु औषधियां व शल्य उपकरण, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक अथवा सिद्ध अथवा यूनानी पद्धति की दवायें नहीं आयेगी। ''मेडिकल'' शब्द उपरोक्त परिभाषित अर्थ से तात्पर्यित होगी।

(9) ''सदस्य'' का तात्पर्य परिषद् के सदस्य से होगा ।

(10) ''विहित करने'' का तात्पर्य इस अधिनियम व उसके अन्तर्गत बने नियमों द्वारा जो विहित किया गया हो ।

(11) ''अध्यक्ष'' का तात्पर्य परिषद के अध्यक्ष से होगा।

(12) ''उपाध्यक्ष'' का तात्पर्य परिषद के उपाध्यक्ष से होगा।

(13) ''पंजिका'' का तात्पर्य चिकित्सा व्यवसायियों की उस पंजिका से होगा जो अधिनियम के अथवा उसके अन्तर्गत बनी तथा संरक्षित की गयी हो ।

(14) ''पंजीकृत चिकित्सक'' का तात्पर्य उस चिकित्सक से होगा जो पंजीकरण हेतु निर्धारित योग्यता जैसा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 (केन्द्रीय अधिनियम 102 वर्ष 1956) द्वारा विहित है, रखता हो और जिसका नाम प्रयोज्य समय में पंजिका में अंकित हो किन्तु यह उन व्यक्तियों के संबंध में लागू नहीं होगा जिनका नाम अनन्तिम रूप से पंजिका में अंकित किया गया है।

(15) ''निबन्धक'' व ''उप निबन्धक'' का तात्पर्य परिषद् के निबन्धक व उप निबन्धक से होगा जो अधिनियम की धारा-14 द्वारा नियुक्त किया गया हो।

(16) ''नियम'' का तात्पर्य उन नियमों से होगा जो अधिनियम की धारा-31 के अन्तर्गत बनाये गये हों ।

(17) भाग का तात्पर्य इस अधिनियम के भाग से

भाग-2

परिषद की स्थापना

संविधान, दायित्व एवं परिषद के अधिकार

परिषद का संविधान व सहभागिता

3. (1) राज्य सरकार अधिनियम के लागू किये जाने की तिथि राजपत्र द्वारा अधिसूचित कर प्रकाशित करेगा। अधिनियम के तहत एक परिषद् का गठन किया जायेगा जो "उत्तरांचल आयुर्विज्ञान परिषद्" कहलायेगा।

(2) परिषद एक निगमित निकाय होगा जिसका एक स्थायी उत्तराधिकार सूत्र व मोहर होगा, उसे चल-अचल सम्पत्ति के क्रय-विक्रय तथा अपने धारण में रखे जाने के अधिकार होंगे तथा वह संविदा आमंत्रित कर उन सभी कार्यो की सम्पादना कराये जाने हेतु सक्षम भी होगा जो अधिनियम द्वारा वांछित हो, उसे वाद चलाने व लड़ने के भी अधिकार होंगे।

(3) परिषद के निम्नलिखित सदस्य होंगे :-

(क) छः सदस्य जो कि पंजीकृत होने की योग्यता जैसा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 (केन्द्रीय अधिनियम 102 वर्ष 1956) द्वारा विहित है, रखते हों, राज्य सरकार द्वारा नामित किये जायेंगे।

(ख) उत्तरांचल राज्य में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त प्रत्येक मेडिकल कालेजों के मेडिकल फैकल्टी द्वारा उनके शिक्षकों में से चुने गये एक सदस्य।

(ग) चार सदस्य जो राज्य के पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी में से चुने जायेंगे जिसमें एक सदस्य उत्तरांचल चिकित्सा संघ से भी चुना जायेगा।

परन्तु ऐसे किसी पंजीकृत चिकित्सक को चुनाव में वोट डालने या लड़ने का अधिकार नहीं होगा जो :-

(i) भारत का नागरिक न हो, एवं

(ii) वह उत्तरांचल में न रहता हो एवं उत्तरांचल में अपना व्यवसाय न करता हेा व उत्तरांचल में नियुक्त न हो।

(घ) राज्य के विश्वविद्यालयों के चिकित्सा संकाय के अध्यक्ष पदेन सदस्य होंगे।

(ड.) राज्य के महानिदेशक, चिकित्सा सेवा, परिषद के पदेन सदस्य होंगे।

(4) परिषद के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष परिषद के चुने सदस्यों के बीच में से चुने जायेंगे।

(5) परिषद के सदस्य, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चयन के समय की

संख्या व प्रक्रिया नियमों द्वारा विहित की जायेगी।

(6) यदि किसी चुनाव में चुनने वाले सदस्य अपेक्षित संख्या में सदस्यों का चुनाव व अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं कर पाते तो राज्य सरकार को अधिकार होगा कि वह रिक्तियों को भरने हेतु योग्य व्यक्तियों में से प्रत्येक कोटि के सदस्य को नामित करें। नामांकित व्यक्तियों को उस समय तक काम देखने का अधिकार होगा जब तक कि रिक्तियों के इस भाग के अनुरूप नियमित रूप से न भर ली जाये।

(7) जब कभी परिषद के सदस्य, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनाव में कोई विवाद उत्पन्न होगा तो वह समाधान हेतु राज्य सरकार को संदर्भित होगा एवं उस पर राज्य सरकार द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा।

(8) ~~विधेयक~~ अधिनियम की धारा-1, उप धारा-3 में निम्न व्यवस्थायें वांछित नहीं होंगी

(क) जो राज्य सरकार द्वारा परिषद के गठन हेतु प्रथम बार की गयी हो जिसमें राज्य सरकार प्रत्येक कोटि के लिये उन्हीं व्यक्तियों को नामित करेगी जो चुने जाने हेतु निर्धारित अर्हतायें रखते हों।

(ख) उपरोक्त प्रकार से चुने गये सदस्य उस समय तक के लिये अपने कार्य का निर्वहन करेंगे, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा निर्धारित किया जाय। ऐसे सदस्यों का कुल संकलित कार्यकाल तीन वर्ष से अधिक नही होगा अथवा जो सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित कर निर्धारित किया जाय।

परिषद का कार्यकाल

4. (1) सरकार राजकीय राजपत्र में समस्त सदस्यों का नाम प्रकाशित करेगी।

(2) अधिनियम द्वारा अन्यथा आरक्षित किये गये प्राविधानों के अतिरिक्त प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल उपरोक्त उपधारा-(1) के तहत अधिसूचित तिथि से पांच साल का होगा

परन्तुक

/ऐसे व्यक्ति जिनकी सदस्यता चिकित्सा संकाय के शिक्षकों द्वारा चुनी हुई हो अथवा पदेन हो, स्वत: उनके मूल पद की सदस्यता के साथ परिषद् के कार्यकाल से पूर्व समाप्त हो जायेगी ।

(3) अधिनियम द्वारा सुरक्षित प्राविधानों के अतिरिक्त परिषद् के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का कार्यकाल उसके परिषद् की सदस्यता के समाप्ति के दिन समाप्त हो जायेगी ।

(4) किसी सदस्य के कार्यकाल की समाप्ति उपधारा-(2) में प्रदत्त होते हुए भी उस समय तक बढ़ जायेगी एवं उपधारा (1) द्वारा उत्तराधिकारी के नाम के प्रकाशन के पूर्व दिन तक की मानी जायेगी।

(5) परिषद के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के कार्यकाल की समाप्ति उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त होते हुए भी स्वतः बढ़कर उत्तराधिकारी के चुनाव की तिथि के पूर्व तिथि को समाप्त होगी।

(6) परिषद के सदस्य, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष मात्र एक और लगातार सत्र हेतु चुनाव लड़ने व नामांकित होने के अधिकारी होंगे।

(7) परिषद को अपने किसी सदस्य को एक लगातार क्रम में छः माह से अधिक अनुपस्थित रहने हेतु अवकाश दिये जाने का अधिकार न होगा।

आकस्मिक रिक्तियां

5. (1) परिषद के चुने हुए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष अथवा सदस्य की आकस्मिक रिक्ति धारा-3 की उप धारा-(3) के खण्ड(क) अथवा (ग) द्वारा चुने गये प्रतिनिधियों मे से ही चुनाव द्वारा की जायेगी

परन्तुक

/यदि यह रिक्ति सम्पूर्ण परिषद् के समय समाप्त होने के छः माह पूर्व हो तो नहीं भरी जायेगी ।

(2) अधिनियम की धारा-**3** की उप धारा-(**3**) खण्ड (**1**) अथवा उप धारा (8) के अन्तर्गत नामांकित सदस्य के आकस्मिक रिक्ति की सूचना परिषद द्वारा तुरन्त सरकार को दी जायेगी, जिसे सरकार द्वारा फिर नामांकित कर भरा जायेगा।

(3) धारा-3 अथवा धारा-4 की उप धारा-(1) व (2) द्वारा चुने अथवा नामांकित हुए व्यक्ति की आकस्मिक रिक्ति मात्र परिषद के उतने कार्यकाल के लिये होनी जितनी अवधि रिक्ति के समय से संबंधित सदस्य की अवशेष होगी, इसमें उप धारा-(8) की उक्ति बाधक नही होगी।

त्यागपत्र

6. (1) अध्यक्ष या उपाध्यक्ष किसी भी समय अपने पद से परिषद के निबन्धक को सूचित करते हुए त्यागपत्र दे सकता है। यह त्यागपत्र उस दिन से मान्य होगा जिस तिथि से इसे परिषद द्वारा स्वीकार किया जायेगा अथवा सूचित करने की तिथि से 60 दिन की समयावधि के भीतर या दोनों में से जो पहले हो।

(2) परिषद के चुने हुए सदस्य अथवा नामांकित सदस्य अपना त्यागपत्र लिखित रूप में किसी भी समय निबन्धक के माध्यम से अध्यक्ष को अथवा सरकार को दे सकेंगें। यह त्यागपत्र उस दिन

से मान्य होगा जिस दिन से अध्यक्ष द्वारा या सरकार द्वारा इसे स्वीकार कर लिया गया हो अथवा त्यागपत्र की सूचना भेजने के 60 दिन से अधिक समय व्यतीत हो गया हो अथवा जो पहले हो।

निरर्हता अथवा निर्योग्यता

7\. (1) चुने हुए अथवा नामांकित सदस्य को निम्न कारणों से चुनाव हेतु अथवा नामांकन हेतु अथवा पद पर निरन्तर बने रहने हेतु अयोग्य घोषित किया जायेगा, यदि –

(क) वह दिवालिया घोषित हो चुका हो, अथवा,

(ख) वह अस्वस्थ मस्तिष्क का हो; और किसी अधिकृत न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया हो; अथवा

(ग) यदि उसका नाम राज्य की पंजिका से निकाल दिया गया हो एवं दोबारा उसमें न लिखा गया हो, अथवा,

(घ) यदि वह परिषद का पूर्णकालिक कर्मचारी हो अथवा यदि उसे किसी अनैनिक कारणों में लिप्त होने के कारण न्यायालय द्वारा सजा सुना दी गयी हो।

(2) यदि कोई सदस्य परिषद की लगातार तीन बैठकों में धारा-4 की उपधारा-(7) के अन्तर्गत स्वीकृत अवकाश लिये बिना अथवा किसी अन्य कारण से जो परिषद के विचार से उसकी सीट को रिक्त घोषित करने हेतु पर्याप्त हो, भाग न लिया हो, तो परिषद उस सीट को रिक्त घोषित कर रिक्ति को पूर्ण करने हेतु कार्यवाही करने को स्वतंत्र होगी।

(3) यदि कोई सदस्य अपने कार्यालय में उप धारा-(1) में वर्णित कारणों से अनर्ह घोषित किया जाय तो परिषद इस आशय की एक आख्या शासन को देगी। यदि सरकार अयोग्यता के कारणों से सन्तुष्ट होती है तो परिषद उस सीट को रिक्त घोषित कर देगी।

परिषद की बैठक

8\. (1) परिषद की बैठक बुलाना, करना व संचालन किया जाना नियमों द्वारा विहित किया जायेगा।

(2) अध्यक्ष जब उपस्थित हो तो वह परिषद की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता करेगा। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता करेगा। यदि दोनों अनुपस्थित हों तो परिषद के सामान्य सदस्यों में से चुना हुआ कोई सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा।

(3) परिषद की बैठक में किसी विवादित विषय को उस बैठक में उपस्थित सदस्यों के वोट के बहुमत से तय किया जायेगा।

(4) किसी बैठक के पीठासीन अधिकारी को उस समय वोट देने का अधिकार प्राप्त होना जब किसी विषय पर पक्ष व विपक्ष के

वोट समान हों।

(5) परिषद के किसी बैठक की गणपूर्ति (कोरम) छः सदस्यों से जिनमें अध्यक्ष व उपाध्यक्ष भी सम्मिलित होंगे, पूर्ण होगी। जब किसी बैठक में उपरोक्त गणपूर्ति पूर्ण नही हो पा रही हो तो पीठासीन अधिकारी कम से कम गणपूर्ति हेतु 30 मिनट तक प्रतीक्षा करने के उपरान्त बैठक को उस दिन अथवा अगले दिन तक के लिये स्थगित कर सकेगा ओर इसकी सूचना परिषद के सूचना पट पर अंकित की जायेगी। परिषद की अगली बैठक में विवादित विषय को रखा जायेगा और गणपूर्ति के अभाव मे भी उसे निस्तारित किया जा सकेगा।

बैठक का कार्यवृत्त एवं कार्यवाही की वैधता

9. (1) परिषद की प्रत्येक बैठक का कार्यवृत्त गोपनीय होगा एवं कोई भी व्यक्ति परिषद के पूर्व संकल्प के बिना बैठक की कार्यवाही अथवा उसके किसी अंश को प्रकट नहीं करेगा

परन्तुक

/कोई व्यक्ति परिषद की बैठक के उन निर्णयों को प्रकट अथवा प्रकाशित कर सकेगा जिसके लिए परिषद द्वारा संकल्प लिया जा चुका है एवं यदि परिषद ने किसी संकल्प द्वारा प्रकाशन को सर्वथा गोपनीय रखने का संकल्प न लिया हो।

(2) किसी भी व्यक्ति द्वारा परिषद की सदस्यता अथवा अध्यक्षता उपाध्यक्ष अथवा किसी बैठक के पीठासीन अधिकारी की हैसियत से किये गये कार्य, उनके चुनाव अथवा नामांकन के दोष अथवा निअर्हता के कारण समाप्त नहीं होंगी अथवा परिषद के उन बैठकों की कार्यवाही जिसमें उनके द्वारा अध्यक्षता की गयी हो भी वांछित नहीं होगी। यदि बैठक के निर्णय सदस्यों के बहुमत के आधार पर लिये गये हों।

(3) जब परिषद का कोई पद रिक्त हो तो परिषद के निरन्तर बने सदस्य इस प्रकार का कार्य करेंगे जैसे कि वह रिक्ति घटित न हुई हो।

(4) परिषद द्वारा किये गये किसी भी कार्य पर मात्र इस आशय से प्रश्नचिन्ह नहीं लगाया जा सकेगा कि उसमें कोई रिक्ति रह गई हो अथवा परिषद के गठन में किसी प्रकार का दोष हो।

परिषद के अधिकार, कर्तव्य एवं कृत्य

10. 'अधिनियम के अधीन रहते हुए अथवा नियमों द्वारा विहित परिषद के अधिकार, कर्तव्य एवं कृत्य निम्न होंगे :-

(क) एक पंजिका जीवित चिकित्सकों हेतु तैयार किया जाना, अनुरक्षित करना एवं चिकित्सा व्यावसायियों के पंजीकरण की व्यवस्था करना।

(ख) निबन्धक के निर्णय के विरूद्ध की गयी अपील को निस्तारित करना।

(ग) चिकित्सा व्यावसायियों हेतु आचार संहिता तथा व्यावसायिक आचरण को विहित किया जाना।

(घ) चिकित्सकों को दण्ड देना, निलम्बित करना अथवा उसका नाम राजकीय पंजिका से विलुप्त करना व उसके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करना। जैसा कि परिषद की राय में उचित एवं आवश्यक हो।

(ड.) अन्य सब वे अधिकार, दायित्व एवं कर्तव्य का अनुपालन सुनिश्चित करना जो इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त हों अथवा नियमों द्वारा विहित किये जायें।

(च) जन साधारण की शिकायतों (जिसमें मरीज व उसके परिजन) जो किसी चिकित्सा व्यावसायी के विरूद्ध अभद्र आचरण अथवा अपेक्षापूर्ण कर्तव्य से संबंधित हों, को प्राप्त करना तथा उसकी विवेचना करना एवं मामलों को गुणदोष के आधार पर निर्णय लेते हुए यदि आवश्यक हो तो वादी को प्रतिकर की अदायगी करना तथा साथ ही यदि शिकायत आधारहीन हो तो शिकायतकर्ता के विरूद्ध कार्यवाही करना।

(छ) परिषद के सदस्यों को अपने व्यावसायिक दायित्वों के निर्वहन में संरक्षण देना।

(ज) यह सुनिश्चित करना कि कोई भी निअर्ह व्यक्ति आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति से चिकित्सकीय कार्य न कर रहा हो।

कार्यकारी समिति

11\. (1) परिषद शीघ्र एक कार्यकारी समिति का गठन करेगी, जिसके अध्यक्ष पदेन सदस्य होंगे तथा परिषद के अन्य सदस्य उसके सदस्य होंगे जो परिषद के चुने हुए सदस्यों से चुने जायेंगे अथवा जैसा विहित हो।

(2) समिति का कार्यकाल तथा इसके सदस्यों की आकस्मिकता को भरने व सदस्यों द्वारा कार्य में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया वही होगी जो नियमों द्वारा विहित होगी।

(3) समिति को अधिनियम द्वारा सौंपे गये कार्य, अधिकार एवं कर्तव्य के अतिरिक्त वह सब अधिकार प्राप्त होंगे एवं उन कर्तव्यों व दायित्वों का निर्वहन करना होगा जैसा कि परिषद द्वारा नियमों के अन्तर्गत प्रत्यायोजन किया जाय अथवा परिषद द्वारा सौंपे जाय।

(4) परिषद का अध्यक्ष कार्यकारी समिति का पदेन सभापति होगा।

परिषद के सदस्यों व कार्यकारी समिति के सदस्यों को दी जाने वाली फीस व भत्ते

12. परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सदस्यों तथा इसकी कार्यकारी समिति के सदस्यों को प्रत्येक बैठक में उपस्थित होने के लिये फीस व सुसंगत यात्रा भत्ता आदि जैसा समय-समय पर विहित होगा, देय होगा।

परिषद का आय-व्ययक

13. (1) परिषद के आय के निम्न श्रोत होंगे :-

(क) चिकित्सा व्यावसासियों से प्राप्त पंजीकृत शुल्क;

(ख) सरकार से प्राप्त वित्तीय सहायता राशि;

(ग) परिषद द्वारा उगाही गयी अन्य कोई राशि;

(2) परिषद निम्न व्ययभार वहन करने के लिये स्वयं सक्षम होंगी :-

(क) निबन्धक एवं अन्य कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों का भुगतान।

(ख) परिषद एवं कार्यकारी समिति के सदस्यों को दी जाने वाली फीस एवं भत्ते।

(ग) किसी कार्य हेतु निर्धारित पारिश्रमिक।

(घ) ऐसा कोई अन्य व्यय जो अधिनियम के अन्तर्गत दायित्वों एवं कार्य संचालन के लिये आवश्यक हो।

परिषद के निबन्धक, उप निबन्धक की नियुक्ति एवं उनके कर्तव्य व कृत्य

14. (1) परिषद राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से निबन्धक अथवा उप निबन्धक पद पर उस व्यक्ति की नियुक्ति करेगी जो भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 (केन्द्रीय अधिनियम 102 वर्ष 1956) की अनुसूची (एक) (दो) व (तीन) द्वारा विहित अर्हताधारक चिकित्सा स्नातक हो।

(2) परिषद निबन्धक को समय-समय पर अवकाश दे सकेगी

परन्तु अवकाश की अवधि एक माह से अधिक नहीं होगी। अवकाश अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत किया जायेगा।

(3) किसी निबन्धक के पद की अस्थायी रिक्ति जो अवकाश या किसी अन्य कारण से हो, उप निबन्धक द्वारा निबन्धक के कार्य को देखा जायेगा। निबन्धक तथा उप निबन्धक की अनुपस्थिति में कार्यकारी समिति सरकार से पूर्व स्वीकृति लेकर उस पद पर कार्य करने हेतु व्यक्ति को नियुक्त करेगी। नियुक्ति की इस अवधि में इस व्यक्ति के कृत्य को अधिनियम के अन्तर्गत निबन्धक द्वारा किया गया कार्य माना जायेगा।

परन्तु जब यह अवधि एक माह से अधिक न हो तो नियुक्ति अध्यक्ष द्वारा की जा सकेगी एवं जिसकी सूचना तुरन्त कार्यकारी परिषद तथा सरकार को दी जानी आवश्यक होगी।

(4) परिषद सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर किसी ऐसे व्यक्ति को जो निबन्धक नियुक्त हुआ हो, को निलम्बित अथवा अपसारित कर सकेगी अथवा उस पर किसी प्रकार का अर्थदण्ड जैसा नियमों द्वारा विहित हो लगा पायेगी।

(5) अधिनियम द्वारा अन्य रूप से अनुरक्षित किये गये के अतिरिक्त वैतन एवं भत्ते एवं सेवा की अन्य शर्ते निबन्धक की वही होंगी जैसी विहित की जायेगी।

(6) निबन्धक परिषद का सचिव तथा अधिशासी अधिकारी भी होगा व परिषद व कार्यकारी समिति की समस्त बैठकों में भाग लेगा एवं बैठकों के कार्यवृत्त व उस बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों के नाम आदि का विवरण रखेगा।

(7) परिषद का लेखा जोखा निबन्धक द्वारा नियमों द्वारा विहित ढ़ंग से रखा जायेगा।

(8) निबन्धक द्वारा परिषद के कर्मचारियों पर पर्यवेक्षकीय अधिकारी जैसा नियमों द्वारा विहित हो, प्रयोग किया जायेगा एवं अन्य वे सब कर्तव्य व कृत्य जैसा विधेयक द्वारा प्रदत्त हो किये जायेंगे।

(9) निबन्धक भारतीय दण्ड संहिता की धारा-21 के अधीन वर्णित लोक सेवक होगा।

भाग-3

पंजिका की तैयारी एवं अनुरक्षण

15. (1) जैसे ही अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि निर्धारित हो जायेगी, निबन्धक द्वारा अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत उत्तरांचल के चिकित्सा व्यावसायियों को पंजीकृत करने हेतु एक पंजिका तैयार की जायेगी एवं उसे अनुरक्षित किया जायेगा। पंजिका की तैयारी

(2) पंजिका नियमों द्वारा विहित प्रकार से एक भाग अथवा अनेक भागों में विभक्त कर रखा जायेगा और पंजिका में निम्न विवरण उपलब्ध कराये जायेंगे :-

(क) आवेदक का पूरा नाम, उसकी पूर्ण शैक्षिक योग्यता, विद्यालय/विश्व विद्यालय के नाम सहित आवेदक द्वारा प्राप्त की गयी प्रत्येक शैक्षिक अर्हता की तिथि एवं अन्य विवरण जो नियमों द्वारा विहित किये जाये, पंजिकायुक्त किये जायेंगे।

(3) कोई व्यक्ति जो भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956

(केन्द्रीय अधिनियम 102 वर्ष 1956) की अनुसूची (एक) (दो) व (तीन) की अर्हता रखता हो तथा भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम की सभी शर्तों को पूर्ण करता हो, किसी भी समय विहित प्रारूप पर निबन्धक के समक्ष आवेदन कर सकेगा एवं निर्धारित शुल्क व अपने को पंजीकृत की जाने वाली योग्यता के साक्ष्य प्रस्तुत करने पर अपना नाम पंजिका में अंकित करा सकेगा।

(4) (क) वह प्रत्येक व्यक्ति जिसका नाम दिनांक 1 मई, 1961 से निरन्तर भारतीय चिकित्सा परिषद् की पंजिका में अंकित रहा हो तथा उसकी निरन्तरता इस अधिनियम के प्रभावी होने के पूर्व दिवस तक रही हो, वह इस अधिनियम के अन्तर्गत तैयार की गयी पंजिका में पंजीकृत होने के लिए अधिकृत होगा ।

(ख) इस अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि के तीन माह के अन्दर अथवा सरकार द्वारा निर्धारित की गयी समय सीमा के अन्दर निबन्धक सरकारी गजट में पंजीकृत नाम सामान्य सूचना हेतु अथवा समाचार पत्रों में प्रकाशित करेगा जैसा कि परिषद द्वारा निर्धारित किया गया हेा प्रत्येक उस व्यक्ति से जो खण्ड (क) के अनुपालन में पंजीकृत होने योग्य हो, से निर्धारित प्रारूप पर निर्धारित फीस व निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन करने को कहेगा। यदि वह व्यक्ति इस अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत होना चाहता हो। वह उन प्रत्येक व्यक्तियों को अलग से पंजीकृत डाक अथवा नियमों द्वारा विहित अन्य किसी तरीके से उनके अन्तिम जानकार पते पर सूचना भेजेगा। प्रत्येक उस व्यक्ति को जिसने जन साधारण की सूचना हेतु प्रकाशित किये गये राजपत्र द्वारा सूचित तिथि के दो माह के अन्दर अथवा सूचना के कालातीत होने के पूर्व फीस आदि जमा कर दी हो, को निबन्धक पंजिका में नामावलिगत करेगा।

(5) अधिनियम की धारा-4 के खण्ड (ख) के अनुरूप निर्धारित शुल्क जमा किये जाने हेतु समय के व्यतीत हो जाने तथा उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत पंजिका के तैयार हो जाने के पश्चात निबन्धक द्वारा जैसा कि परिषद द्वारा चाहा गया हो उसी प्रकार से राजकीय गजट समाचार पत्रों मं प्रकाशित किया जायेगा कि पंजिका तैयार हो चुकी है एवं पंजिका सरकारी गजट द्वारा निर्धारित तिथि से प्रभावी मानी जायेगी।

(6) कोई व्यक्ति जो उत्तरांचल राज्य की परिधि में आधुनिक चिकित्सा पद्धति द्वारा चिकित्सकीय सेवा अथवा चिकित्सा व्यवसाय में लिप्त हो तो अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत होगा। परिषद द्वारा पंजीकरण के अभाव में कोई व्यक्ति जो आधुनिक चिकित्सा पद्धति में निर्धारित की गयी योग्यता रखता हो, परिषद द्वारा विर्निदिष्ट कार्यवाही का भागी होगा।

(7) प्रत्येक पंजीकृत चिकित्सक को नियमों द्वारा विहित प्रारूप पर एक प्रमाण-पत्र दिया जायेगा। पंजीकृत चिकित्सक इस प्रमाण पत्र को अपने व्यवसाय के किसी सहज दृश्य स्थान पर दृष्टिगत होने के लिये लगायेगा एवं यदि चिकित्सक एक से अधिक स्थान पर अपना चिकित्सा व्यवसाय संचालित करता है तो अपने द्वारा किये जा रहे एक व्यवसाय के स्थान पर उसे लगायेगा।

कतिपय दशा में पंजीकरण की प्रक्रिया

16. (1) वे स्वैच्छिक अर्हतायें जो किसी ऐसे प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त हों, जिनका स्थान भारतीय राज्य क्षेत्र से बाहर हो (उन अर्हताओं से जो भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 की अनुसूची (2) व (3) के अर्न्तमुक्त न हो) इस विधेयक के अन्तर्गत बिना उप धारा (2) द्वारा प्रदत्त प्रक्रिया को पूर्ण कराये पंजीकृत नहीं किया जायेगा।

(2) वह व्यक्ति जो इस प्रकार की चिकित्सा अर्हता रखता हो, को परिषद के सम्मुख अपनी अर्हता संबंधी सही जानकारी देनी होगी जिसमे उसे अपनी डिग्री, डिप्लोमा, लाइसेंस अथवा प्रमाण-पत्र जमा करना होगा। परिषद उनको भारतीय आर्युविज्ञान परिषद को उनकी राय के लिये भेजेगी तथा उनकी राय के अनरूप ही कार्यवाही करेगी।

वे व्यक्ति जिन्हें पंजीकृत नहीं किया जाना है

17. धारा-15 व 16 में वर्णित अर्हताओं के होते हुए भी कोई व्यक्ति जिसका नाम अधिनियम के अन्तर्गत बिना पंजिका के पूर्व अथवा बाद की तिथि को भारत के किसी भी भाग में इस विधेयक अथवा किसी अन्य नियमों के उल्लंघन में जो चिकित्सा व्यावसायी के पंजीकरण से संबंधित हो व्यापारिक अवचार के आधार पर पंजिका से निकाल दिया गया हो, वह व्यक्ति अपना नाम पंजिका में अंकित कराने से . वारित रहेगा, जब तक कि उसका नाम उस पंजिका में सम्यक आदेशों के अन्तर्गत पुर्नस्थापित न कर दिया गया हो।

अनन्तिम पंजीकरण प्रमाण-पत्र हेतु

18. (1) जो व्यक्ति भारतीय आर्युविज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 (केन्द्रीय अधिनियम 102 वर्ष 1956) की धारा-25 के अनुसार अनन्तिम

शुल्क

रूप से पंजीकृत होना चाहेगा, वह निबन्धक को एक आवेदन-पत्र एवं शुल्क अदा करेगा।

(2) प्रत्येक उस व्यक्ति को जिसका नाम उप धारा (1) के अन्तर्गत पंजीकरण रजिस्टर में नामावलिगत हो को एक अनन्तिम पंजीकरण प्रमाण-पत्र दिया जायेगा एवं जो प्रमाण-पत्र पर लिखी अवधि व दिनांक से वैध व प्रर्वत्त रहेगा।

पंजिका का अनुरक्षण

19. (1) निबन्धक का यह दायित्व होगा कि वह पंजिका में प्रविष्टि करे, समय-समय पर यदि आवश्यक हो तो उनका परिशोधन करे एवं पंजीकरण के प्रमाण-पत्र विधेयक के प्राविधानों के अन्तर्गत नियमों के अनुरूप जारी करे।

(2) (क) प्रत्येक मृत्यु का पंजीकरण करने वाले निबन्धक का यह कर्तव्य होगा कि वह किसी चिकित्सा व्यवसायी की मृत्यु की प्रथम सूचना मिलते ही इस विधेयक के अन्तर्गत नियुक्त निबन्धक को डाक द्वारा सूचित करे जिसमें उसके हाथ का बना मृत्यु प्रमाण-पत्र, मृत्यु का कारण, समय व स्थान अंकित होंगे। जिस पर तथा सूचना देने पर हुए अपने कार्यालय व्यय को प्राप्त करने का वह अधिकारी होगा।

(ख) उन पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायियों को जिनकी मृत्यु हो चुकी हो अथवा जिनके नाम को विलोपित किये जाने की संस्तुति अधिनियम की धारा-22 द्वारा प्रदत्त हो को पंजिका से विलोपित कर दिया जायेगा।

(3) कोई ऐसा व्यक्ति जिसका नाम पंजिका में प्रविष्ट अथवा पंजीकृत कर लिया गया हो वह अपने नाम को पंजिका में परिवर्तित करने की इच्छा व्यक्त करता है तो उसे एक आवेदन-पत्र के साथ नियमों द्वारा विहित शुल्क देना होगा जिससे कि पंजिका में उसके परिवर्तित नाम का अंकन हो सके।

(4) भारतीय आर्युविज्ञान परिषद अधिनियम 1956 (केन्द्रीय अधिनियम 102 वर्ष 1956) की धारा-26 के अन्तर्गत यदि कोई व्यक्ति अपने नाम का पंजीकरण किये जाने के बाद किसी अतिरिक्त अर्हता जो कि परिषद के अधिनियम की किसी सूची में दिया गया हो, को पंजीकृत कराना चाहता है तो भारतीय आर्युविज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 (केन्द्रीय अधिनियम 102 वर्ष 1956) की अनुसूची में विर्निदिष्ट हो, इस अंकन हेतु आवेदक इस प्रकार की अतिरिक्त अर्हता अपने नाम के सम्मुख अंकित कराने हेतु नियमों द्वारा निर्धारित शुल्क का आवेदन-पत्र देने के बाद अधिकारी होगा।

20. (1) ऐसे समय में जो धारा-15 की उप धारा-5 के प्रस्तावित प्रकाशन की तिथि के बाद हो, जैसा परिषद उपयुक्त मानता हो एवं उसके बाद प्रत्येक पांच वर्ष के उपरान्त निबन्धक प्रत्येक संशोधित उन सभी व्यक्तियों की सूची जिनके नाम की प्रविष्टि पंजिका में हो चुकी हो को छपवा कर प्रकाशित करायेगा जो किसी चुनाव प्रक्रिया के आरम्भ होने के तीन माह पूर्व सम्पन्न कर ली जायेगी। पंजीकृत चिकित्सकों की सूची को प्रकाशित किया जाना

(2) निबन्धक यह सुनिश्चित करेगा कि प्रतिवर्ष या जैसी कि कार्यवाही समिति द्वारा तिथि निर्धारित की गयी हो एक पंजीकृत सूची को छपवाकर प्रकाशित करेगा अथवा अनुपूरक व एक शुद्धि-पत्र उस प्रकाशित अनुसूची के उपखण्ड-(1) द्वारा स्थापित हो को दर्शाते हुए प्रकाशित करेगा।

(क) ऐसे सभी व्यक्तियों के नाम जो उस समय तक पंजिका में प्रविष्ट अथवा पुर्नप्रविष्ट किये गये हों एवं जो किसी अन्य उपलब्ध छपी हुई व प्रकाशित हुई सूची में सम्मिलित न किये गये हों

(ख) उन चिकित्सकों के नाम जो विद्यमान में बन रही सूची में अंकित हों एवं जो नाम किन्हीं कारणों से किसी प्रकार से विलोपित कर दिया गया हो एवं जिसकी पंजिका में पुनः प्रविष्ट न की गयी हो एवं

(ग) अन्य कोई संशोधन जो विद्यमान सूची में आवश्यक हों।

(3) प्रकाशन जो उप खण्ड-(1) द्वारा निर्धारित प्रारूप में किया जायेगा, में वे विवरण अंकित हांगे एवं उसके प्रकाशन की विधि वह होगी जो नियमों द्वारा विहित होगी।

(4) उप धारा-(1) के अन्तर्गत तैयार की गयी सूची किसी भी न्यायालय के समक्ष तथा किसी भी न्यायिक अथवा अर्द्ध न्यायिक कार्यवाही के लिये निश्चायक साक्ष्य के रूप में मान्य होगी जो यह सिद्ध करेगी कि जो व्यक्ति इस सूची में अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत विर्निदिष्ट हो अथवा जिन व्यक्तियों के नाम इसमें उल्लिखित नहीं हैं, वे पंजीकृत अथवा अपंजीकृत माने जायेंगे जब तक कि प्रतिकूलता इस अधिनियम के अन्तर्गत सिद्ध न हो जाय ।

परन्तु

किसी स्थिति में यदि किसी व्यक्ति का नाम प्रकाशित सूची में आने से रह गया हो वह व्यक्ति निबन्धक से अपने नाम को पंजिका में अंकन होने की प्रमाणिक छायाप्रति प्राप्त करेगा जो

इस अधिनियम के अन्तर्गत उस व्यक्ति का अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत होने का साक्ष्य होगा ।

अनुशासनिक कार्यवाही व पंजिका से नाम निकाला जाना

21. (1) परिषद की एक अनुशासनिक समिति होगी जिसका गठन निम्नवत होगा :-

(एक) सभापति - जो परिषद द्वारा नामित होगा।

(दो) एक सदस्य विधान सभा का - जो विधान सभा अध्यक्ष द्वारा नामित किया जायेगा।

(तीन) एक न्यायविद जो न्याय विभाग द्वारा नामित किया जायेगा।

(चार) एक प्रतिष्ठित जन प्रतिनिधि जो शासन द्वारा नामित किया जायेगा।

(पांच) एक प्रतिष्ठित चिकित्सा विशेषज्ञ जो परिवाद संबंधी विषय में विशिष्टता रखता हो - परिषद द्वारा नामित किया जायेगा।

(छः) उत्तरांचल राज्य चिकित्सा सेवा संघ का एक प्रतिनिधि जिसको चिकित्सा कार्य सम्पादन में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव हो।

(2) यदि किसी चिकित्सा व्यवसायी को नियमों द्वारा विहित तरीके से सम्यक जांचोपरान्त परिषद अथवा कार्यकारी समिति द्वारा किसी उपचार हेतु दोषी पाया जाता है तो परिषद -

(क) उस चिकित्सा व्यवसायी को चेतावनी दे सकती है अथवा

(ख) उस चिकित्सा व्यवसायी के नाम हेतु संस्तुति कर सकती है -

1. किसी निश्चित समय के लिये उसके नाम को पंजिका से हटाने हेतु

2. उस पंजिका से उसका नाम स्थायी रूप से हटाये जाने हेतु

<u>स्पष्टीकरण</u> - इस भाग के मूल्यांकन के लिये वह चिकित्सा व्यवसायी अवचार का दोषी होगा यदि -

(क) उसे किसी फौजदारी न्यायालय द्वारा किसी अनैतिक अपराध हेतु दण्ड दिया गया हो जो अपराध दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (केन्द्रीय अधिनियम-2 वर्ष 1974) द्वारा संक्षेय हो अथवा

(ख) यदि परिषद की राय में उसका आचरण चिकित्सा व्यवसाय के संदर्भ में अपमानजनक हो अथवा भारतीय आयुर्विज्ञान

परिषद द्वारा निर्धारित आचार संहिता जो भारतीय आर्युविज्ञान परिषद अधिनियम 1956 (केन्द्रीय अधिनियम 102 वर्ष 1956) द्वारा बनाई गई है के विपरीत है।

(3) परिषद द्वारा किसी चिकित्सा व्यवसायी जिसका नाम उप धारा-1 के अन्तर्गत पंजिका से निकाल दिया गया है पुनः लिखित तर्कसंगत साक्ष्यों के आधार पर प्रविष्ट करने का अधिकार होगा।

(4) परिषद द्वारा स्वतः अथवा किसी व्यक्ति के शिकायती-पत्र के आधार पर शिकायतकर्ता को सुनवाई को पूर्ण अवसर देते हुए जांचोपरान्त पंजिका में की गयी किसी प्रविष्टि को संशोधित करने अथवा निरस्त करने का अधिकार होगा यदि यह सिद्ध हो जाय कि वह प्रविष्टि किसी कपटपूर्ण भाव अथवा त्रुटिवश हो गयी हो।

(5) परिषद अथवा कर्मचारी समिति द्वारा की जा रही जांच में समिति को यह अधिकार प्राप्त होंगे जो सिविल न्यायालय को वांद प्रक्रिया संहिता, 1908 के अन्तर्गत निम्न विषयों के लिये प्राप्त है:-

(क) किसी व्यक्ति की उपस्थिति सुनिश्चित कराना व उसकी शपथपूर्वक प्रति परीक्षा कराना।

(ख) उसके दस्तावेज आदि जांच हेतु भेजे जाने की वाध्यता एवं

(ग) साक्षी की परीक्षा हेतु फरमान जारी करना।

(6) इस धारा के अन्तर्गत की गयी सभी जांचे भारतीय दण्ड संहिता की धारा 193, 219 एवं 228 में अभिप्रेत मान्यता-प्राप्त होंगी।

(7) (क) परिषद अथवा कार्यकारी समिति इस धारा के अन्तर्गत किसी जांच के दौरान उठाये गये कानूनी पहलुओं के मूल्यांकन हेतु जहां न्यायिक सलाह की आवश्यकता हो वह एक परामर्शी से सेवा प्राप्त कर सकेगी, जिसे न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव प्राप्त हो एवं वह

(1) एडवोकेट ऐक्ट 1961 के अन्तर्गत नामावलिगत हो अथवा

(2) उच्च न्यायालय का महाधिवक्ता हो

<u>स्पष्टीकरण</u> - उपरोक्त उप धाराओं में किसी व्यक्ति को एडवोकेट की श्रेणी में नामावलिगत होने के मूल्यांकन में वह समय भी सम्मिलित किया जायेगा जिस दौरान वह प्रथम बार कौंसिल अधिनियम 1926 में एडवोकेट की हैसियत से नामावलिगत किया गया हो।

(ख) जहां कहीं विधि परामर्शी द्वारा परिषद अथवा कार्यकारी समिति जैसी स्थिति हो को यदि किसी विधि संबंधी

प्रश्न, साक्ष्य, प्रक्रिया अथवा अन्य किसी विषय पर राय दी जाती है तो वह इसे हर व्यक्ति, वादी अथवा जांच में वादी का पक्ष प्रस्तुत कर रहे व्यक्ति के सामने राय देगा अथवा यदि यह राय तब ही दी जाती है जब परिषद अथवा कर्मचारी समिति द्वारा अपनी आख्या दी जा रही हो परामर्शी द्वारा दी गयी इस राय के बारे में वादी पक्ष के सभी व्यक्तियों को राय के संबंध में सूचित किया जायेगा। वादी पक्ष अथवा व्यक्ति को उस समय भी सूचना दिया जाना आवश्यक होगा। परिषद अथवा कार्यकारी समिति के लिये यह आवश्यक होगा कि परामर्शी की किसी विधिक बिन्दु पर दी गयी राय को न मानने की स्थिति में भी वह प्रतिवादी पक्ष को सूचित करें।

(ग) इस धारा के अन्तर्गत परामर्शी या तो साधारण तौर पर नियुक्त किया गया होगा अथवा किसी विशेष जांच हेतु नियुक्त किया गया होगा एवं उसको नियमों द्वारा विहित पारिश्रमिक का भुगतान किया जायेगा।

पंजीकरण का नवीनीकरण

22. (1) अधिनियम की धारा-15 अथवा-20 के प्राविधानों के होते हुए भी कार्यकारी समिति सरकार से अनुमति प्राप्त कर प्रत्येक पांच वर्ष बाद किसी एक दिन निर्धारित कर जो धारा-15 की उप धारा-5 में प्रकाशित की गयी तिथि की सूचना के बाद की तिथि होगी, निबन्धक द्वारा नियमों द्वारा विहित दो बार राजपत्र में सूचना प्रकाशित की जायेगी। प्रथम प्रकाशन का व्यवधान द्वितीय से 30 दिन से कम नहीं होगा। जैसा कि उप धारा-2 में प्रदत्त है कि समस्त पंजीकृत चिकित्सक निबन्धक को पुनः उनके नाम की प्रविष्टि की निरन्तरता को पंजिका में कर सकने हेतु आवेदन करेंगे।

(2) निबन्धक के लिये यह आवश्यक होगा कि उप धारा-1 के अन्तर्गत वह प्रथम सूचना प्रकाशन के बाद एक पंजीकृत डाक द्वारा जिसके साथ निर्धारित आवेदन-पत्र का प्रारूप भी होगा, पंजीकृत चिकित्सक को उनके पते पर जो पंजिका में अंकित होगा इस आशय की सूचना भेजेंगे कि वे अपना नाम पंजिका में प्रविष्टि की निरन्तरता बनाये रखने के लिये उपरोक्त आवेदन पत्र की प्राप्ति के 45 दिन के अन्दर निबन्धक को भेजें। यदि कोई चिकित्सक इस प्रकार का आवेदन-पत्र समय से भेजने में असमर्थ होता है तो निबन्धक पुनः उस पंजीकृत व्यवसायों को

पंजीकृत डाक द्वारा उप धारा-1 में संदर्भित द्वितीय नोटिस प्रकाशन के बाद आवेदन-पत्र का प्रारूप इस आशय से कि वह निबन्धक को प्राप्ति के 30 दिन के भीतर नियामों द्वारा समय-समय पर निर्धारित शुल्क के साथ प्रस्तुत करें।

(3) यदि पंजीकृत डाक द्वारा दी गयी उप धारा-2 की सूचना के बाद भी निबन्धक को किसी आवेदक का आवेदन-पत्र प्राप्त नही होता है तो वह व्यतिक्रमी चिकित्सक के नाम को पंजिका से निकाल देगा एवं उसको इसकी सूचना पंजीकृत डाक सें दे देगा।

परन्तु

/निरन्तरता जारी रखने हेतु यदि कोई आवेदन-पत्र उप धारा-2 के अन्तर्गत दी गयी सूचना व सूचित की गयी तिथि के बाद प्राप्त होते है अथवा उस व्यक्ति का नाम यदि विलोपित कर दिया गया हो तो पंजिका में पुन: प्रविष्ट कराने हेतु नियमों द्वारा विहित शुल्क जमा करने के उपरान्त, प्रविष्ट कर लिया जायेगा।

अपील

23. (1) कोई व्यक्ति जो अधिनियम के अन्तर्गत निबन्धक द्वारा दिये गये इस निर्णय से असन्तुष्ट हो या क्षुब्ध हो, वह उनके उस निर्णय की सूचना मिलने की तिथि से एक माह के अन्दर परिषद के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकेगा जिसको परिषद सुनकर नियमों द्वारा विहित प्रकार से अपील को गुणदोष के आधार पर तय करेगी।

(2) यदि भारतोय आर्युविज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 (केन्द्रीय अधिनियम 102 वर्ष 1956) अथवा कोई अन्य प्रकार न प्रस्तावित हो तो परिषद का निर्णय अन्तिम होगा।

पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायियों के अधिकार

24. उस समय प्रवृत्त अन्य किसी भी विधान में किसी बात के होते हुए भी -

(1) वह व्यक्ति विधि द्वारा अर्ह चिकित्सा व्यवसायी अथवा सम्यक रूप से अर्ह चिकित्सा व्यवसायी अथवा कोई ऐसा शब्द जो विधि द्वारा मान्य चिकित्सा व्यवसायी को सम्बोधित करने हेतु आयात किया गया हो अथवा किसी चिकित्सा व्यवसायिक वृत्ति जो किसी अधिनियम द्वारा उत्तरांचल की विधान सभा अथवा केन्द्रीय अधिनियम द्वारा परिभाषित (उनके उत्तरांचल में प्रर्वतन के प्रारूप के अनुसार) जहां तक किसी अधिनियम को विधान मण्डल द्वारा कानून बनाने हेतु संविधान के अनुच्छेद-239(ए) के खण्ड (3) द्वारा किया गया हो एवं वह चिकित्सक जिसका नाम

इस अधिनियम के अन्तर्गत पंजिका में अंकित किया गया है।

(2) प्रत्येक पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी यदि वह चाहता हो तो किसी 'इनक्वेसट' के अन्तर्गत कार्यवाही न करने को स्वतंत्र होगा।

सीमान्त प्राविधान जो चिकित्सा व्यवसायियों पर लागू होंगे

25. इस अधिनियम के सारे प्राविधान भारतीय आर्युविज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 (केन्द्रीय अधिनियम 102 वर्ष 1956) जो चिकित्सा व्यवसायियों पर लागू होते है के अतिरिक्त होंगे नही तो उसके अल्पीकरण में।

पंजीकृत होने की असत्य सूचना पर दण्ड का प्राविधान

26. यदि किसी व्यक्ति द्वारा जिसका कि नाम उस समय की पंजिका में अंकित न हो अथवा उसके द्वारा असत्य रूप से यह दर्शाया जाय कि वह पंजीकृत है अथवा ऐसे किसी संबंध से, किसी अभिनाम से अथवा शब्द व अक्षर जो इस उद्देश्य को दिखाने की नीयत से रखा गया हो कि उसका नाम पंजिका में अंकित है तो उस व्यक्ति का दोष सिद्ध हो जाने पर उसे अर्थदण्ड दिया जायेगा जिसकी न्यूनतम सीमा रू0 25,000/- तथा उच्चतम सीमा रू0 50,000/- तक हो सकती है।

अधिनियम के अन्तर्गत असत्यता के आधार पर चिकित्सा व्यवसायों का होना अपराध होगा

27. इस अधिनियम के अन्तर्गत यदि किसी व्यक्ति द्वारा असत्य रूप से यह मान लिया जाता है कि वह चिकित्सा व्यवसाय कर सकता है अथवा वह अधिनियम की धारा-2 खण्ड-(7) के अभिप्राय के अनुरूप चिकित्सक है अथवा व्यवसाय को आधुनिक चिकित्सा पद्धति द्वारा कर सकता है तो वह सश्रम कारावास के दण्ड से दंडित किया जा सकेगा जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकती है अथवा अर्थ दंडित किया जा सकेगा जिसकी धनराशि पचास हजार रूपये तक हो सकती है अथवा दोनों सजायें एक साथ प्राप्त हो सकती है।

<u>स्पष्टीकरण</u> - इस प्राविधान के अन्तर्गत उस व्यक्ति को मात्र सजा दी जा सकती है जो इस अधिनियम की धारा-2 के खण्ड-(7) के अनुरूप चिकित्सा व्यवसायी होने का दावा करता है। इस अधिनियम के अन्तर्गत पशु चिकित्सक अथवा पशु शल्य चिकित्सक, होम्योपैथी, सिद्ध अथवा यूनानी की पद्धति के चिकित्सा व्यवसायी व जो बी.ए.एम.एस. अथवा बी.आई.एम.एस. डिग्री धारक होंगे को दंडित नहीं किया जा सकता।

न्यायालय जो इस अधिनियम के

28. (1) कोई न्यायालय जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अथवा मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी से न्यून हो, इस अधिनियम के अन्तर्गत किये गये अपराधों

का संज्ञान नही लेगा और न ही वाद की सुनवाई कर सकेगा। अन्तर्गत अपराध का संज्ञान लेने में सक्षम होगा

(2) किसी न्यायालय द्वारा इस अधिनियम के अन्तर्गत किये गये किसी अपराध का संज्ञान तब तक नही लिया जायेगा जब तक इस विधेयक के अन्तर्गत किये गये अपराध के संबंध में लिखित रूप से किसी अधिकारी द्वारा जो नियमों द्वारा इस हेतु प्राधिकृत हो द्वारा लिखित परिवाद पत्र प्रस्तुत किया गया हो।

29. (1) यदि सरकार को किसी भी समय इस आशय का ज्ञान होता है कि परिषद अथवा इसके अध्यक्ष व उपाध्यक्ष दायित्व के अनुपालन में असफल है अथवा अपनी सीमाओं का उल्लंघन कर अपने किसी अधिकार का जो अधिनियम द्वारा प्रदत्त हो, का दुरूपयोग कर रहे है अथवा कार्य संचालन में अक्षम है, एवं यदि सरकार यह समीचीन समझती है कि उपरोक्त असफलता, सीमाओं का उल्लंघन, पद के दुरूपयोग अथवा कार्य अकुशलता गम्भीर प्रकृति की हो, तो वह पूर्ण वर्णन के साथ उक्त को परिषद, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष जैसा वांछनीय हो, को सूचित करेगी। यदि उपरोक्त द्वारा असफलताओं, सीमाओं के उल्लंघन पद की कार्य कुशलता जो सरकार द्वारा निर्धारित की गयी हो, को समय सीमा में नहीं सुधारा जाता, तो सरकार अध्यक्ष, उपाध्यक्ष को निकाल सकती है एवं परिषद को निर्धारित समय के लिये विघटित कर सकती है, जैसा वांछनीय हो एवं यदि परिषद विघटित की गयी हो तो परिषद के समस्त अथवा कुछेक अधिकार, कर्तव्य व कार्य प्रक्रिया का निष्पादन सरकार इस आश्य से नियुक्त पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायियों अथवा चिकित्सकों द्वारा करवाने में सक्षम होगी। सरकार का नियंत्रण

परन्तु

/इस प्रकार विघटित परिषद को विघटित किये जाने के दिनांक से दो वर्ष से पूर्व नये परिषद का अनिवार्य रूप से गठन किया जाना होगा।

(2) यदि सरकार द्वारा किसी समय यह सुनिश्चित कर लिया जाता है है कि परिषद अथवा उसका कोई पदाधिकारी, का गठन/नियुक्ति गैर संवैधानिक तरीकों से हुई हो तो सरकार किसी समय, किसी अधिकार, कर्तव्य एवं संचालन हेतु किसी व्यक्ति द्वारा वांछित तरीके से करवाने हेतु सक्षम होगी जिसकी अधिकतम समयावधि छः माह तक हो सकती है। जो अधिनियम व उसके अन्तर्गत बने नियमों द्वारा वांछित नहीं होगा।

नियम

30.(1) सरकार राज-पत्र द्वारा सूचित कर पूर्व प्रकाशित तिथि व शर्तों के अनुसार अधिनियम द्वारा प्रदत्त कार्यों हेतु नियम बना सकेगी। यह नियम अधिनियम द्वारा प्रदत्त अधिकारों के क्रियान्वयन हेतु विधेयक द्वारा नियमावली में बनाये जाने के लिये जिस प्रकार वांछित होंगे, बनाये जायेंगे।

(2) किसी विशेष परिस्थिति में बिना किसी विद्वेष के या सामान्य रूप से प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत सरकार सभी अथवा अन्य विषयों से संबंधित निम्न नियम बनाने में सक्षम होगी -

(क) धारा-3 की उप धारा-(5) के अन्तर्गत, सदस्य, उपाध्यक्ष व अध्यक्ष के चुनाव हेतु तिथि, स्थान व प्रक्रिया का निर्धारण किया जाना।

(ख) परिषद की बैठक धारा-8 की उप धारा-(1) के अन्तर्गत किस रूप में संचालित की जायेगी व कहां आयोजित की जायेगी का तय करना।

(ग) परिषद के अधिकार, कर्तव्य व कृत्य जिन शर्तो के अधीन प्रयुक्त व संचालित की जायेगी को तय करेगी एवं विधेयक की धारा-10 के प्राविधानों के अन्तर्गत चिकित्सकों की आचार संहिता (नैतिक व व्यावसायिक) का विनियमन करेगी।

(घ) यह तय करेगी कि "कार्यकारी समिति" में परिषद के चुने सदस्यों में से कितने सदस्य चुने जायेंगे, उनका कार्यकाल क्या होगा, उनकी आकस्मिक रिक्तियां कैसे भरी जायेंगी, उनके कार्य की क्या प्रणाली होगी एवं परिषद के अधिकार, कर्तव्य व कृत्य जिसमें धारा-11 के प्राविधानों के अन्तर्गत परिषद द्वारा कार्यकारी समिति को प्रत्यायोजित कार्य किये जाने की प्रणाली विहित किया जाना भी होगा।

(ड.) शुल्क व भत्ता जो परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सदस्यों को अथवा कार्यकारी समिति के सदस्यों को धारा-12 के प्राविधानों के अन्तर्गत दिया जाना होगा, का निर्धारण किया जाना।

(च) निबन्धक को दिये जाने वाले वेतन, भत्तों का उसकी सेवा शर्तो को, उसके द्वारा परिषद के आय-व्ययक का लेखा जोखा किस प्रकार रखा जायेगा, उसके पर्यवेक्षकीय दायित्व जो परिषद के कर्मचारियों पर होगा, इस अधिनियम द्वारा निर्धारित दायित्वों के अतिरिक्त निबन्धक द्वारा किये जाने

वाले कार्य का निर्धारण किया जाना।

(छ) परिषद के अधिकारियों, कर्मचारियों के सेवा शर्तो का बनाया जाना जैसा अधिनियम की धारा-15 की उप धारा-(3) द्वारा प्रस्तावित है का निर्धारण करना।

(ज) चिकित्सा व्यवसायियों हेतु पंजिका की तैयारी व अनुरक्षण, पंजिका का प्रारूप, पंजिका में अंकित किये जाने का विवरण, जिसमें पंजीकृत किये जाने वाले चिकित्सक का नाम, पता, अर्हता संबंधी विवरण सम्मिलित होगा, उस सूचना का प्रारूप जिसे राज-पत्र में अथवा समाचार-पत्रों द्वारा नाम पंजीकृत किये जाने हेतु प्रकाशित किया जाना होगा। पंजीकरण हेतु शुल्क का निर्धारण उसे अदा किये जाने की पद्धति का प्रारूप, पंजीकृत किये जाने हेतु प्रत्येक व्यक्ति को भेजे जाने वाली सूचना का प्रारूप तथा प्रमाण-पत्र का प्रारूप जो पंजीकरण के उपरान्त पंजीकृत चिकित्सक को धारा-15 के अन्तर्गत देय होगा।

(झ) अनन्तिम पंजीकरण प्रमाण-पत्र का प्रारूप, इस हेतु देय शुल्क का निर्धारण तथा इस आशय में धारा-18 के अन्तर्गत दी जाने वाली सूचना का प्रारूप तैयार करना।

(ट) पंजिका के नाम आदि परिवर्तन हेतु शुल्क निर्धारण, अतिरिक्त सूचना की प्रविष्टि कराये जाने हेतु शुल्क का निर्धारण एवं पंजीकरण प्रमाण-पत्र की द्वितीय प्रति विधेयक की धारा-19 के अन्तर्गत दिये जाने हेतु शुल्क का प्राविधान करना।

(ठ) पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायियों की सूची का प्रारूप निर्धारित करना जो धारा-20 के अन्तर्गत प्रकाशित की जानी है।

(ड) उन विधाओं का निर्धारण जो किसी पंजीकृत चिकित्सक के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही के अन्तर्गत अनुपालनीय होगी, जो परिषद अथवा कार्यकारी समिति द्वारा की जायेगी, उन शर्तो का विनियमन जो किसी चिकित्सक के नाम को पुनः पंजिका में अंकित किये जाने हेतु निर्धारित शुल्क सहित आवश्यक होगा एवं पारिश्रमिक जो धारा-21 के अन्तर्गत नामित मूल्यांकित करने हेतु न्यायविद को देय होगी।

(ढ) सूचनाओं के एवं पंजीकरण हेतु जो पंजीकरण प्रारूप चिकित्सक द्वारा भरे जाने होंगे तैयार करना, शुल्क जो देय होगा, का निर्धारण करना यदि अधिनियम की धारा-22 के अनुपालन में नवीनीकरण के अभाव में छूटे नाम को पंजिका में पुनः प्रविष्ट करना हो, हेतु का निश्चित किया जाना।

(ढ) सूचनाओं के एवं पंजीकरण हेतु जो पंजीकरण प्रारूप चिकित्सक द्वारा भरे जाने होंगे तैयार करना, शुल्क जो देय होगा, का निर्धारण करना यदि अधिनियम की धारा-22 के अनुपालन में नवीनीकरण के अभाव में छूटे नाम को पंजिका में पुनः प्रविष्ट करना हो, हेतु का निश्चित किया जाना।

(ण) वह प्रणाली निर्धारित की जानी होगी जो परिषद द्वारा धारा-23 के अन्तर्गत अपनायी जायेगी।

(त) उप अधिकारियों को नियुक्त करना होगा जो धारा-29 की उप धारा-2 के अन्तर्गत न्यायालय में प्रर्वतन हेतु वाद प्रस्तुत करेंगे।

(थ) कोई अन्य विषय जिस हेतु नीति निर्धारित की जानी हो अथवा नियम जो भी अधिनियम के प्रवर्तन हेतु बनाया जाना हो ।

(3) इस धारा के अधीन बनाये गये सभी नियमों को अधिकतम तीस दिन के अन्दर अथवा यथाशीघ्र उत्तरांचल विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करना होगा जो कि विधानसभा के विखण्डन के अधीन होंगे अथवा ऐसे संशोधनों के अधीन होंगे जो विधानसभा के सत्र में होने पर अथवा निकट भविष्य में आहूत होने वाले सत्र में किये जाय।

(4) उत्तरांचल विधानसभा द्वारा किया गया कोई विखण्डन अथवा संशोधन राजपत्र के प्रकाशित करने के उपरान्त प्रभावी होगा।

आचार संहिता व नैतिकता

31. परिषद को भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा समय-समय पर निर्धारित आचार तथा चिकित्सा नैतिक संहिता का अनुपालन करना होगा।

कठिनाईयों का निराकरण

32. इस अधिनियम के प्राविधान प्रभावी होने में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार समय की आवश्यकतानुसार कठिनाई के निराकरण करने के उद्देश्य से आदेश द्वारा आवश्यक निराकरण कर सकेगी, परन्तु परिषद के गठन के पश्चात दो वर्ष की अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त ऐसा कोई आदेश नहीं कर सकेगी।

निरसन

33. उत्तरांचल आयुर्विज्ञान परिषद अध्यादेश, 2002 एतद् द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तरांचल अध्यादेश संख्या 07 सन् 2002

आज्ञा से,
यू0 सी0 ध्यानी,
अपर सचिव।